



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-05102026-276790
CG-UP-E-05102026-276790

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5088]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 5088]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (इंजीनियरिंग विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 8 सितंबर 2026

का.आ. 5295(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संसोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'च' की उप धारा (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित मध्यस्थ को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लेखित जिले के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश राज्य में "उत्तर मध्य रेलवे के झाँसी-ग्वालियर खंड पर किमी संख्या 1205/15-13 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 409 के स्थान पर 2 लेन आरओबी का निर्माण।" को विशेष रेल परियोजना" की बाबत ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति करती है।

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	कलेक्टर, ग्वालियर	ग्वालियर

[फा.सं. एन.सी.आर.-एच.क्यू.शून्य.ई.एन.जी.जी.(बी. आर. आई. डी)/55/2026-ओ/ओ डी.वाई.सी. ई./बी.आर./एल./ जे.एच.एस
(कंप्यूटर क्र.185400)]

ए.के. मनुवाल, प्रमुख मुख्य इंजीनियर

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Central Railway (Engineering Department)]****NOTIFICATION**

Prayagraj, the 8th September, 2026

S.O. 5295(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 20F of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) Railway (amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the arbitrator mentioned in column (2) of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the special railway project of **“Construction of 2 lane ROB in lieu of L-Xing No. 409 at km 1205/15-13 on Jhansi-Gwalior section of N.C. Railway”** in the state of Madhya Pradesh relating to district mentioned in column (3) of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of such railway project.

TABLE

Sl. No.	Officer	District
(1)	(2)	(3)
1.	Collector, Gwalior	Gwalior

[F. No. NCR-HQ0ENGG(BRID)/55/2026-O/o Dy.CE/Br./L/JHS (Computer No. 185400)]

A.K.MANUWAL, Principal Chief Engineer